न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 17/2020
प्रविष्टि दिनांक 20–2–2020

शफ़्फू पुत्र श्री लल्लू तेली जाति मुसलमान निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14–10–2019

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 1–9–2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14–10–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.05 है0,वाके ग्राम शोप की बारानी भूमि पर मकान, दुकान व बाड़ा बना कर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 5000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जॉच किये एंव अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि विधान एंव तथ्यों के वितरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने [illegible] में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी भूमि पर अकिमण नहीं किया [illegible] न ही दुकान बना रखी है। पटवारी हल्का ने किसी रंजिश [illegible] शिकायत करते हुए उक्त गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सच्चाई की जॉच किये कार्यवाही करते हुए उक्त दण्डादेश पारित किया है। अपीलान्ट को को निर्णय से पूर्व सुने बिना एंव साक्ष्य सबूत पेश [illegible] का अवसर प्रदान किये बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:45:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है एंव उसके द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.05 है0,वाके ग्राम शोप की बारानी भूमि पर मकान, दुकान व बाड़ा बना कर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 66/18 निर्णय दिनांक 15–11–2018 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट के की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर भूमि पर अपना कब्ला होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि किस्म बारानी खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम शोप पर मकान, दुकान व बाड़ा बना कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 66/18 दिनांक 15–11–2018 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अपीलन्ट ने स्वंय अपील प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया है तथा दिनांक 2–3–2020 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी पक्का निर्माण करना स्वीकारा है एंव कब्जा छोड देने का निवेदन किया है, किन्तु नायब तहसीलदार सोप से कब्जे के सम्बन्ध में मंगवाई गई रिपोर्ट में नायब तहसीलदार सोप ने अपने पत्र कमांक 737 दिनांक 24–7–2020 से रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें अपीलान्ट शफ्फू पुत्र श्री लल्लू तेली जाति मुसलमान निवासी सोप द्वारा मकान,दुकानें व बाड़ा बना कर अतिक्रमण कर रख होना वर्तमान में यथावत बताया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 14–10–2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:45:48 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते (राजस्थान)